(182)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म0प्र0

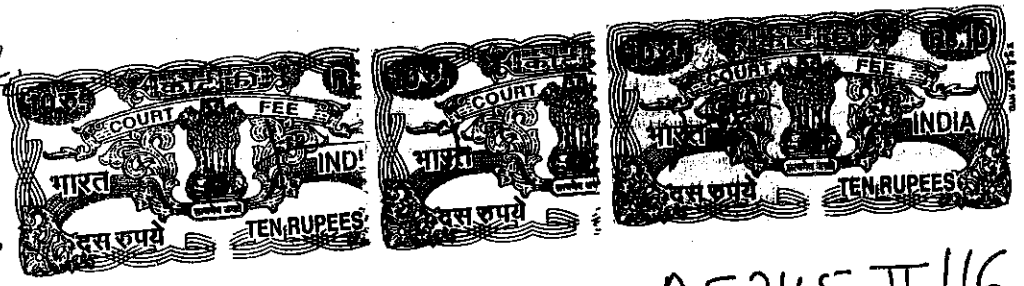

R2345-II/16

1— मंगाली पिता सीरी चमान मृत वारिसान

अ— सजीवन पिता स्व0 मंगाली चमार

ब— मनधीर पिता स्व0 मंगाली चमार

स— सुखीनन्द पिता स्व0 मंगाली चमार

द— रामप्यारी पुत्री स्व0 मंगाली चमार

2— विकराम पिता छोटन चमार

3— मनभरण पिता भागीरथी चमार

4— अहिबल पिता भागीरथ चमार

5— दुकौडी पिता छोटकौना चमार

6— अभिलाख पिता भागीरथी चमार

7— चुनकामन पिता रामधनी चमार मृत वारिसाना

अ— श्रीमती उर्मिलावाई पत्नी स्व0 श्री चुनकामन चमार

ब— बेटालाल पिता स्व0 चुनकामन चमार

स— रामविश्वास पिता चुनकामन चमार

सभी निवासी ग्राम पुरवा, तह0 सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

————आवेदकगण

बनाम

1— कलेक्टर रीवा, जिला रीवा म0प्र0

2— श्रीमान् नायब तहसीलदार, तह0 सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

3— राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी तनय श्री रघुवंश प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम वीरखाम, तह0 सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

————अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरणकमांक 18–74/मूल /14–15 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर

प्रकरण के तथ्य

1– यह कि ग्राम पुरवा रीवा रियासत के समय में पवाई का गॉव था, जिसके अंतिम पवाईदार रामस्वरूप, मंधीर प्रसाद एवं शंखधारी प्रसाद तनय गंगाराम रहे है, तथा पवाई उन्मूलन के पूर्व तक ग्राम पुरवा के भूमियो के पट्टेदार एवं पवाईदार रहे है।

2– यह कि जमीदारी उन्मूलन के बाद दिनांक 13.09.1959 को तीनो पवाईदार भाईयों द्वारा ग्राम पुरवा की भूमि खसरा नं0 147, 148 एवं 149 में से जमीदारी उन्मूलन कानून की धारा 22 के तहत् न्यूनतम क्षेत्र एलाटमेंट किये जाने हेतु आवेदन किया गया था।

3– यह कि तहसीलदार सिरमौर द्वारा दिनांक 20.08.1959 को पवाईदारो के आवेदन पत्रों पर आराजी नं0 147 रकवा 0.24ए. आराजी नं0 148 रकवा 6.70ए0 एवं आराजी नं0 149 के जुज रकवा 22.06ए. कुल 30ए0 का एलाटमेन्ट पवाईदारो के पक्ष में किया गया था आराजी नं0 149 के कुंल रकवा 177.93ए. में से एलामेन्ट के बाद 154.87 ए0 भूमि शेष पवाईदारो से मुक्त हो गयी थी।

4– यह कि आवेदकगण के पूर्वज मंगाली वगै0 द्वारा पवाई उन्मूलन 1953 के पूर्व से ही आराजी खसरा नं0 149 के अंश भाग 80 ए0 पवाईदारो को लगान देकर खेती करते थे तथा पवाईदार की सहमति से रकवा 80 एकड़ में काबिज दखल रहे है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5345–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री हीरालाल तिवारी द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 18–74/मूल/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.4.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 1 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एम0 अली) सदस्य	